



2026:AHC:31186

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2871, वर्ष 2026

सत्य प्रकाश सिंह एवं 2 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : मोहम्मद मोहिउद्दीन सिद्दीकी

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचीगण द्वारा वर्तमान रिट याचिका में एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् नायब तहसीलदार, तहसील कटराही जनपद महाराजगंज को याचीगण द्वारा दिनांक 12.11.2025 को प्रस्तुत पुनर्विचार आवेदन को निस्तारित करने हेतु निर्देशित करने की है। उक्त आवेदन एकपक्षीय आदेश दिनांक 16.10.2025 को वापस लेने हेतु दायर किया गया था।
2. याचीगण के अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
3. आज प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् नायब तहसीलदार, तहसील कटराही, जनपद महाराजगंज को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है कि वे संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उपरोक्त रिकॉल आवेदन का निस्तारण शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वाति

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"